डेगाना (नागौर)

2-10-21	पत्रावली आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 कैम्प चौलियास में रखी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से जवाब प्राप्त हो चुका है, जो शा० मि० रहे। प्रार्थी ने प्रा० पत्र U/s 136 RLR Act 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम चौलियास में ख०	सुजाराम LTI. नरसी

खसरा 6 कुल रकबा 6.01 हैं० चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 की सामलाती खातेदारी, सुदा काश्त. कब्जा सुदा भूमि आई हुई है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थी व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं० 2 दर्ज है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के पश्चात जरिये विरासत नामान्तकरण सं० 4 से प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 का नाम रेकर्ड मे दर्ज किया गया उस वक्त प्रार्थी व अप्रार्थी सं० 2 दोनो नाबालिग थे तथा राजस्व कर्मचारियों से गलती अथवा सहवन से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे नरसी राम के स्थान पर दयालराम दर्ज कर दिया, जो कि प्रार्थी का घर का बोलता नाम था। जबकि प्रार्थी का नाम सही नरसीराम है। प्रार्थी के समस्त अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम नरसीराम दर्ज है। दयालराम पुत्र रामकुरप व नरसीराम पुत्र रामकुरप नाम का एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य व्यक्ति नही है। राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम नरसीराम के स्थान पर दयालराम दर्ज होने से प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज दयालराम पुत्र रामकुरप के स्थान पर नरसीराम पुत्र रामकुरप दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं० 1 ने अपने पत्रांक। कोर्ट / जू.अ. / 3379 दि० 23.9.2021 के द्वारा जवाब पेश कर राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दयालराम पुत्र

(हस्ताक्षर)
(कानाराम पुत्र मोहनराम जाट चौखिसास)

भीकाराम
(भीकाराम पुत्र ...लाराम जाट चौखिसास)

(हस्ताक्षर)
(...भोलाराम पुत्र ...रामराम जाट चौखिसास)

अहकाम वों की तामील

रामसुख के स्थान पर नरसीराम पुत्र रामसुख किया जाना उचित बताया है अप्रार्थी सं० 2 ने भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है।

पत्रावली को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021, कैम्प चौलियास में रखा गया। उपस्थित प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त जमीन की नकल जमाबन्दी संवत 2067-76 में दयालराम पुत्र रामसुख 1/2 हिस्सा दर्ज है। नामान्तकरण सं० 4 ग्राम चौलियास के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खातेदार रामसुख के फौत होने पर जरिये फौतगी नाम रामसुख के स्थान सुण्डाराम, दयालराम पि० रामसुख के नाम खातेदारी दर्ज की गई है जो निरन्तर चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, में नरसीराम पुत्र रामसुख दर्ज है। प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत चौलियास के द्वारा जारी अभिप्रमाणित पहचान-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे भी नरसीराम उर्फ दयालराम पुत्र रामसुख नाम का एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। कैम्प के दौरान मजमे आम में जानकारी ली गई। उपस्थित लोगो ने प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम दयालराम के बजाय नरसीराम होना अवगत कराया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, अप्रार्थीगण के जवाब, ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पहचान पत्र (प्रमाण-पत्र),

उनवान मुकदमा

सं. वर्ष ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी... अहकम जो की त...
	एवं मजमे आम मे प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र u/s 136 RLR Act 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चौलियास के ख०नं० 141, 2, 200, 215, 236, 242 कुल खसरा 6 कुल रकबा 6.0100 है० भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज दयालराम पुत्र रामसुख हिस्सा 1/2 के स्थान पर नरसीराम उर्फ दयालराम पुत्र रामसुख हिस्सा 1/2 दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष खाता यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार (डेगाना) को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.10.2021 को PGKS अभियान कैम्प चौलियास मे मजमे आम मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना (नागौर)	